NavBharat Times-New Delhi-23-02-2011

जामिया में 50 पर्सेंट सीटें मुस्लिमों के लिए

विशेष संवाददाता || नई दिल्ली

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर मान्यता दे दी। इसी के साथ जामिया मिलिया इस्लामिया देश की पहली ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई, जहां किसी समुदाय विशेष के लिए सीटें आरक्षित की गई हो। आने वाले समय इस संस्थान की 50 फीसदी सीटें मुस्लिम छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के अध्यक्ष एम एस ए सिद्दीकी ने इसे ऐतिहासिक दिन करार देते हुए कहा कि हमें इस नतीजे पर पहुंचने में कोई हिचक नहीं हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद कुछ मुसलमानों ने रखी थी। इसका मकसद मुस्लिम समुदाय के लोगों के हितों से जुड़ा था। सिद्दीकी ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यकों को छोड़ कर एससी-एसटी श्रेणी के छात्रों के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं होगा।

गौरतलब है कि जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर साल 2006 में जामिया छात्र संघ, जामिया पूर्व छात्र संघ व जामिया टीचर्स संघ ने आयोग के सामने याचिका रखी थी। इस पूरे मामले में जामिया के कुलपति, मानव संसाधन मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय प्रतिवादी थे। आयोग की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने संविधान की धारा 30 (1) के तहत जामिया को अल्पसंख्यक संस्थान के तौर पर मान्यता दी है। खंडपीठ 18 सुनवाई के बाद इस फैसले पर पहुंची।